बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक–प्रोन्नति नियमावली –2011

सत्यमेव जयते

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या – 7/व० 3–659/92 "अंश" ..... 940 पटना, दिनांक – 01/09/011......

भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल राज्य के राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों के (जिला संवर्ग के) शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक – प्रोन्नति नियमावली – 2011

1. **संक्षिप्त नाम,विस्तार एवं प्रारंभ** ।– (1) यह नियमावली "बिहार राजकीयकृत प्रारम्भिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2011" कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ** ।– जब तक कोई बात विषय या प्रसंग में विरूद्ध न हो, इस नियमावली में–

   (i) " प्रोन्नति समिति " से अभिप्रेत है, नियमावली के नियम–4 में गठित " जिला प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति समिति " ;

   (ii) " ग्रेड " से अभिप्रेत है, राजकीयकृत प्रारंभिक शिक्षकों का नियम 3 में उल्लिखित ग्रेड ;

   (iii) " प्रशिक्षित " से अभिप्रेत है, वैसे शिक्षक जो निम्न प्रशिक्षण प्राप्त हों एवं परीक्षा में उत्तीर्ण हों–

   (क) दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण, अथवा

   (ख) बी० एड०, डिप–इन–एड० एवं डिप– इन–टीच, अथवा

   (ग) सेवाकाल में एक वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण ;

   (iv) "मैट्रिक/इन्टर प्रशिक्षित" से अभिप्रेत है, वैसे शिक्षक जो मैट्रिक अथवा इन्टरमीडियट या समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण हो और प्रशिक्षित हों ;

   (v) "स्नातक प्रशिक्षित" से अभिप्रेत है, वैसे शिक्षक जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक योग्यता रखता हो तथा प्रशिक्षित हों ;

   (vi) " स्नातकोत्तर प्रशिक्षित" से अभिप्रेत है, वैसे शिक्षक जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर की योग्यता रखता हो तथा प्रशिक्षित हों ;

   (vii) "कोटि" से अभिप्रेत है, शिक्षकों की कोटि ;

(viii) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार ;

(ix) "विभाग" से अभिप्रेत है, मानव संसाधन विकास विभाग ;

(x) "प्रधानाध्यापक" से अभिप्रेत है, मध्य विद्यालय का प्रधानाध्यापक ;

(xi) "जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)" से अभिप्रेत है, जिले के प्रारंभिक विद्यालयों के जिला संवर्ग के शिक्षकों की स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी ;

(xii) "जिला संवर्ग के शिक्षक" से अभिप्रेत है, जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में वेतनमान में नियुक्त शिक्षक ;

3. शिक्षकों का ग्रेड ।– राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत जिला संवर्ग के शिक्षक निम्नलिखित ग्रेड के होंगे :–

शिक्षकों की कोटि	शिक्षकों का ग्रेड		
	ग्रेड III	ग्रेड II	ग्रेड I
मैट्रिक / इन्टर शिक्षक	पे–बैण्ड ....2 9300 – 34800 ग्रेड पे – 4200	पे–बैण्ड ....2 9300 – 34800 ग्रेड पे – 4600	पे–बैण्ड ...2 9300 – 34800 ग्रेड पे – 4800
स्नातक शिक्षक	पे–बैण्ड ...2 9300 – 34800 ग्रेड पे – 4600	पे–बैण्ड ...2 9300 – 34800 ग्रेड पे – 4800	पे–बैण्ड ....2 9300 – 34800 ग्रेड पे – 5400
मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक	पे–बैण्ड ....2 9300 – 34800 ग्रेड पे – 4800	पे–बैण्ड ....2 9300–34800 ग्रेड पे – 5400	–––

4. प्रोन्नति समिति ।– (1) शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए जिला स्तर पर, "जिला प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति समिति" निम्नलिखित को मिलाकर गठित की जायेगी :–

(i) जिला शिक्षा पदाधिकारी – अध्यक्ष

(ii) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) – सदस्य सचिव

(iii) जिला पदाधिकारी के द्वारा मनोनीत उप समाहर्त्ता – सदस्य

(iv) जिला के वरीयतम कार्यक्रम पदाधिकारी – सदस्य

(v) अनु० जाति / अनु० जनजाति के एक पदाधिकारी – सदस्य
(जिला पदाधिकारी के द्वारा मनोनीत)

(2) प्रोन्नति समिति द्वारा इस नियमावली के अधीन सेवा सम्पुष्टि एवं प्रोन्नति संबद्ध सभी निर्णय लिये जायेंगे।

5. प्रोन्नति की शर्तें ।– निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ही किसी शिक्षक की प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा :–

(i) प्रोन्नति के लिए न्यूनतम विहित कालावधि पूरा करता हो,

(ii) प्रोन्नति निमित्त निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हत्ता रखता हो,

(iii) प्रोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध, यह विचारणीय हो, तथा

(iv) उसकी सेवा संतोषजनक हो।

6. आरक्षण ।– मैट्रिक प्रशिक्षित से स्नातक प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षित से मध्य विधालय के प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति देते समय राज्य सरकार की प्रोन्नति के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

7. मैट्रिक प्रशिक्षित / इन्टरमीडियट प्रशिक्षित / स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों एवं मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक का ग्रेड II एवं ग्रेड I में प्रोन्नति ।– (वितीय उन्नयन) मैट्रिक प्रशिक्षित / इन्टरमीडियट प्रशिक्षित अथवा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को उनके मूल कोटि के वेतन के ग्रेड पे में 12 वर्षो की संतोषजनक सेवा के बाद प्रथम उन्नयन एवं उनके मूल ग्रेड से 24 वर्षो की संतोषप्रद सेवा के बाद उनके ग्रेड पे में द्वितीय उन्नयन दिया जा सकेगा। ग्रेड पे के उन्नयन के लिए वही मानदंड होगा जो नियमित प्रोन्नति के लिए लागू हों। इसी प्रकार प्रधानाध्यापक के मूल ग्रेड में 12 वर्षों की सेवा के बाद अगले ग्रेड पे में उन्नयन दिया जायगा। इस नियमवाली के लागू होने के पूर्व जिन्हें प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति मिल चुकी हो उन्हें द्वितीय ग्रेड पे में उन्नयन देय नहीं होगा।

8. **स्नातक शिक्षक की कोटि में प्रोन्नति** :– ग्रेड I एवं ग्रेड II के मैट्रिक / इन्टर प्रशिक्षित स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों तथा ग्रेड I एवं ग्रेड II में अपेक्षित योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की दशा में ग्रेड III में न्यूनतम 8 वर्षो की सेवा पूरी करने वाले स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों की वरीयता के आधार पर स्नातक शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्त पदों पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।

9. **मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति** :— स्नातक शिक्षकों के ग्रेड I एवं ग्रेड II में स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षकों तथा ग्रेड I एवं ग्रेड II में अपेक्षित स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की दशा में, ग्रेड III में न्यूनतम 4 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षकों को, वरीयता के आधार पर मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के उपलब्ध रिक्त पदों पर प्रोन्नति देने पर विचार किया जायेगा।

नियम 8 एवं नियम 9 के अधीन दी गयी प्रोन्नति, अधिसूचना की तिथि से तथा वित्तीय लाभ योगदान की तिथि से दिया जायेगा।

10. **मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति हेतु सेवा – कालावधि एवं स्नातकोत्तर योग्यता में " एक बार " (One time) शिथिलीकरण** ।– यदि स्नातक शिक्षक के ग्रेड III में न्यूनतम 4 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध नही हों तो ग्रेड III में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूरी करने वाले स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु कालावधि में एक बार (One time) शिथिलीकरण विभाग द्वारा किया जा सकेगा। इसी प्रकार स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षक नहीं उपलब्ध होने पर स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति हेतु योग्यता में एक बार (One time) शिथिलीकरण विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

11. **प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची**।– (1) वरीयता सूची प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को आधार मानकर तैयार की जायेगी।

(2) मैट्रिक / इन्टर प्रशिक्षिति शिक्षकों से स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों में अपेक्षित स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची विज्ञान एवं कला शिक्षकों के लिए अलग–अलग तैयार की जायेगी। इस सूची में, प्रोन्नति के लिए ग्रेड I (प्रथम) तत्पश्चात् ग्रेड II द्वितीय एवं इसके बाद ग्रेड III (तृतीय) के क्रम में अपेक्षित सेवा–कालावधि रखने वाले स्नातक शिक्षकों का नाम होगा।

(3) प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची, स्नातक वेतनमान में कार्यरत स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षकों के बीच से तैयार की जायेगी।

12. **एक हीं ग्रेड में पारस्परिक वरीयता**।– एक हीं ग्रेड के कार्यरत शिक्षकों की पारस्परिक वरीयता निम्नलिखित मानकों के अधीन विनिश्चित की जायेगी :–

(i) विशिष्ट ग्रेड प्राप्त करने की तिथि वरीयता निर्धारण का आधार होगी। ग्रेड प्राप्त करने की तिथि समान होने पर उससे निम्न ग्रेड प्राप्त करने की तिथि और उसी प्रकार निम्नतम ग्रेड प्राप्त करने की तिथि, जहाँ कहीं अपेक्षित हो वरीयता के लिए आधार होगी।

(ii) ग्रेड प्राप्त करने की तिथि समान होने पर जन्म तिथि आधार होगी।

(iii) जन्म तिथि समान होने पर उनके नाम के रोमन लिपि के वर्णाक्षर क्रम से पारस्परिक वरीयता निर्धारित की जायेगी।

13. प्रोन्नति आदेश – जिला प्रारंभिक प्रोन्नति समिति द्वारा लिये गये प्रोन्नति के निर्णय के उपरान्त उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति आदेश (पदस्थापन के साथ) निर्गत किये जायेंगे। प्रोन्नति–आदेश प्रोन्नति समिति के सदस्य–सचिव एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा।

14. कार्यकारी व्यवस्था – कार्यकारी व्यवस्था द्वारा किसी उच्चतर ग्रेड के पद पर शिक्षक के रूप में कार्यावधि की गणना उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ किसी लाभ के लिए नहीं की जायेगी।

15. वेतन–निर्धारण – प्रोन्नति के उपरान्त वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 630 दिनांक 21 जनवरी, 2010 एवं तत्सम्बन्धी निर्देशों के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसका अनुमोदन जिला लेखा पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

16. अप्रशिक्षित शिक्षक – (1) अप्रशिक्षित शिक्षक किसी भी ग्रेड में प्रोन्नति के पात्र नहीं होंगे।
(2) अप्रशिक्षित शिक्षक को उस तिथि से जिस तिथि से उसे प्रशिक्षित वेतनमान दिया गया हो, ग्रेड III दिया जा सकेगा।

17. इस नियमावली का लागू न होना ।– यह नियमावली नियत वेतन पर नियोजित शिक्षकों पर लागू नहीं होगी।

18. अपील ।– इस नियमावली के नियम के अधीन निर्गत प्रोन्नति आदेश से व्यथित कोई शिक्षक, आदेश निर्गत होने के 30 दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के समक्ष अपील दायर कर सकेगा।.

19. निरसन और व्यावृत्ति – (1) शिक्षकों की प्रोन्नति सम्बन्धी पूर्व में निर्गत प्रोन्नति नियमावली 1993 एवं अन्य/आदेश/निदेश, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे नियमों एवं आदेशों द्वारा या उनके अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई, इस नियमावली द्वारा या अधीन किया गया था या की गयी समझी जायेगी मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन वैसा कुछ भी किया गया था या वैसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

1/9/11

(अंजनी कुमार सिंह)
प्रधान सचिव